

एफ.आई.आर. पर एफ.आर. एफ.आर. एफ.आर. फिर एफ.आर., आखिर माजरा क्या है ?

निति अनुसार एक अपराधिक मामले की जांच के लिए तीन बार जांच अधिकारी बदला जा सकता है। परन्तु, नवीन चौधरी की एफ.आई.आर की जांच में आखिर कब तक जांच

अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे ?

–कार्यालय संवाददाता–
जयपुर। सीकर रोड, गिरधर कॉलोनी के निवासी, नवीन चौधरी, द्वारा एक जमीन के विवाद पर 13 जुलाई 2023 को मुरलीपुरा थाना, जयपुर, में कराई गई एफ.आई.आर. का मामला, किसी भी अन्य जमीनी विवाद में संबंधित एफ.आई.आर. से ज्यादा रोचक साबित हो रहा है। नवीन चौधरी की एफ.आई.आर. संख्या 365 पब्लिक

2023 का मामला रोचक इसलिए है कि इस मामले में पिछले ढाई वर्ष से तीन जांच अधिकारियों ने रिपोर्ट पेश करी है, जिसमें से पहले जांच अधिकारी के केवल सिविल स्वरूप का बताया गया और मामले पर एफ.आर. लगा दी गई। इसके बाद एक अन्य जांच अधिकारी ने इस मामले में आपराधिक मामला होने व उसकी जांच होने की पुष्टि करें, परंतु जांच अधिकारी का तबादला हुआ और मामले की जांच पर एफ.आर. लगा दी गई। तत्पश्चात एक तीसरी जांच अधिकारी ने इस मामले की जांच करी

- नवीन चौधरी की एफ.आई आर सीकर रोड़ पर बनी गिरधर कॉलोनी के प्लॉट नम्बर विवाद से सम्बन्धीत है।**
- हैरानी की बात है कि जेडीए के आदेश अनुसार स्वयं नवीन चौधर ही उक्त जमीन के कब्जा धारी है और रिहायशी जमीन पर अवैध तरीके से शादी का हॉल और भोजनालय चला रहे है।**

और इसे सिविल स्वरूप का बताया और किसी आपराधिक तत्व नहीं पाए जाने के कारण मामलें में पुनह एफ.आर. लगाई।

गौर फरमाने योग्य है कि इस मामले में तीन बार एफ.आर. लगने के बाद शिकायतकर्ता नवीन चौधरी ने पुलिस प्रशासन की दया दृष्टि पाते हुए इस एफ.आई.आर. की जांच के लिए चौथी बार एक जांच अधिकारी की नियुक्ति करए जाने और एफ.आर. हटाने में सफलता प्राप्त की।

परंतु सवाल यह है कि एक मामले की जांच कितने जांच अधिकारी कर सकते हैं और क्या तीन बार एफ.आर.

लगने के बाद भी पुलिस प्रशासन मामले को पुन खोलने और जांच करने के लिए जांच अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं। इस संदर्भ में राजस्थान सरकार के गृह विभाग में 1 जनवरी 2019 को एक नीति जारी करी थी, इस नीति में स्पष्ट लिखा है, कि "एक प्रकरण में किसी भी परिस्थिति में समस्त अधिकारियों द्वारा अनुसंधान अधिकारी का परिवर्तन कुल मिलाकर तीन बार से अधिक नहीं किया जा सकेगा।" इस नीति में आगे लिखा है कि "उक्त तीन अनुसंधान अधिकारियों की गणना में प्रथम अनुसंधान अधिकारी की भी गणना की जाएगी।"

राज्य सरकार द्वारा इस नीति का गठन किया जाना तर्कसंगत और लाजमी इसलिए भी लगता है कि एक एफ.आई.आर. की जांच अनंत समय और अनगिनत जांच अधिकारियों द्वारा नहीं की जा सकती है, परंतु नवीन चौधरी की एफ.आई.आर. के मामले में इस स्पष्ट नीति का उल्लंघन क्यों किया जा रहा है ।

क्या शिकायतकर्ता की मनमर्जी की रिपोर्ट ही इस फिर की जांच को पूर्ण कर सकती है? क्योंकि तीन बार इस मामले में जांच के बाद फर लग चुकी है और एफ.आर. में दर्ज आरोप सिद्ध करने के लिए तथ्य उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, इस मामले का सबसे रोचक तथ्य यह है, कि जिस जमीन पर चल रहे विवाद की लेकर यह एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है ।

वह जमीन सीकर रोड, पर गिरधर कॉलोनी का प्लॉट नंबर चार है और इस रिहाई सी प्लॉट पर स्वयं जेडीए ने जांच कर पाया है, कि नवीन चौधरी ही बिना अनुमति एवं स्वीकृति के करीब 2३00 वर्ग गज में एक चार बाग के नाम से रेस्टोरेंट में बैक्वेट हॉल का अवैध

स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने एवं विभिन्न रोगों की स्क्रीनिंग कर उपचार एवं परामर्श सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ‘स्वस्थ नारी–सशक्त परिवार’ अभियान का आयोजन किया गया है। इसके तहत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष रूप से फोकस किया गया है, ताकि हमारी माताएं–बहनें स्वस्थ रहें और आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ एवं सुरक्षित हो। राजस्थान इस अभियान में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कर रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव राठीड़ ने बताया कि अभियान के तहत राजस्थान बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कोर्तिमान स्थापित कर रहा है।

निर्माण कर व्यावसायिक संचालन कर रहे हैं। जौडीए ने अपने आदेश में स्पष्ट लिखा है कि, यह निर्माण बिल्डिंग बाय लांज का उल्लंघन होने के अलावा अवैध में अनाधिकृत है और इस प्लॉट पर स्वयं नवीन चौधरी का ही कब्जा है। दरअसल इस जमीन को नवीन चौधरी ने श्रीनाथ कृपा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर रिहायशी कॉम्पलेक्स बनाने का अनुबंध किया था, इस अनुबंध के अनुसार डेवलपर द्वारा रिहायशी कॉम्पलेक्स के निर्माण हेतु रकम मुहैया कराई जा रही थी और जमीन देने के आवाज में नवीन चौधरी को रिहायशी परिसर में प्लैट मिल रहे थे। दोनों डेवलपर और नवीन चौधरी ने मिलकर एक कंपनी का भी गठन किया था, जो निर्माण कार्य को पूर्ण करती।

परंतु नवीन चौधरी द्वारा ही जमीन का कब्जा नहीं कंपनी को नहीं दिया गया और पुलिस प्रशासन की मदद से इस मामले में वर्ष 2०23 में एफ.आई.आर. दर्ज कराई। जिसमें तीन बार एफ.आर. लगने के बाद भी पुन जांच अधिकारी नियुक्त किया जा रहा है।

छात्रों से मारपीट करने वाले छह जने गिरफ्तार

जयपुर। शिप्रापथ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टैगोर कॉलेज के छात्रों से मारपीट करने वाले हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है।

वहीं एक नाबालिग को बाल सुधार को निरूद्ध कर गृह भेजा गया है। बदमाशों ने मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। इसके बाद पांचों युवकों की इंस्टाग्राम आईडी और मोबाइल नंबर ट्रैस कर पहचान के बाद पकड़ा।

आरोपी गिरफ्तार

जयपुर। करधनी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पत्नी के सामने पति की चाकू से गोद कर हत्या करने वाले एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त जयपुर (पश्चिम) हनुमान प्रसाद शर्मा ने बताया कि करधनी थाना इलाके में सरना डूंगर रीको एरिया (मेटल फैक्ट्री) में काम करने वाले रवि कुमार की बीस सितंबर को दो मजदूरो ने चाकू धोपकर हत्या की गई थी। इस मामले में पुसि ने हरिशंकर कुशवाह(20) निवासी कुलपाडा जिला महुबा (यूपी) हाल करधनी को गिरफ्तार किया गया है और वहीं एक अन्य आरोपित आशीष निवासी कुलपाडा जिला महुबा (यूपी) की तलाश की जा रही है इस मामले रवि कुमार की पत्नी निर्मला ने पति की हत्या का मामला दर्ज करवाया था कि वह रवि निवासी गांव कानसिंहपुरा जिला बुंदेलूं के साथ छह साल से लिव इन में रहे रही हैं। तीन साल से रवि मेटल कंपनी में काम कर रहे था।

शिप्रापथ थानाधिकारी राजेंद्र गोदारा ने बताया कि शिप्रापथ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टैगोर कॉलेज के छात्रों से मारपीट करने वाले हेमंत मीणा निवासी अलवर,सुमित शर्मा निवासी अलवर मनीष कुमार मीणा निवासी अलवर,सौरभ मीणा उर्फ गोल्ड मीणा निवासी दौसा और जयशिव सैनी निवासी दौसा को गिरफ्तार किया गया है और एक एक बाल अपचारी निरूद्ध कर बाल सुधार गृह भेजा गया

डाक विभाग भर्ती में फर्जी मार्कशीट से नौकरी पाने वाले गिरफ्तार



फर्जी मार्कशीट के आधार पर नौकरी प्राप्त करने के आरोप में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।

जयपुर। भारतीय डाक विभाग में नौकरी पाने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करने वाले एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। जहां अलवर पुलिस ने ग्रामीण डाक सेवक (जौडीएफ) के पद पर फर्जी मार्कशीट के आधार पर नौकरी प्राप्त करने के आरोप में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई तब की गई जब डाक विभाग की आंतरिक जांच में इन दस्तावेजों के फर्जी होने का पता चला। एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि साल 2०22 में हुई भर्ती प्रक्रिया में 1०वीं कक्षा के अंकों के आधार पर नियुक्ति दी गई थी। नियुक्ति के बाद जब डाक विभाग ने सफल उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जाँच करवाई तो हितेश कुमार, साहिल,

मनीषा नैना, शैलेन्द्र कुमार और पिंदू कुमार जैसे कुछ लोगों ने तमिलनाडु के चेन्नई बोर्ड की जाली मार्कशीट जमा करने का पता चला।

इस मामले में पहले हितेश कुमार को गिरफ्तार किया गया था। अब पुलिस ने शैलेन्द्र कुमार निवासी मुडिया खेड़ा, खैरथल–तिरुवार को भी गिरफ्तार किया है, जिसने बताया कि उसने यह फर्जी मार्कशीट अपने दोस्त संदीप यादव के माध्यम से प्राप्त की थी। संदीप यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। संदीप ने स्वीकार किया कि उसने एक कोचिंग सेंटर के संचालक से अपने और शैलेन्द्र के लिए फर्जी अंकतालिकाएं बनवाई थीं।

‘निशुल्क यूनिफॉर्म योजना में ओ.बी.सी. व ई.डब्लू.एस. छात्राओं को पुनः शामिल करे’

जयपुर। आल इंडिया ओ बी सी कांग्रेस नेता एवं स्टेट ओ बी सी एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य राजेंद्र सेन ने राजस्थान सरकार द्वारा पहली से 8वीं तक के सामान्य–ओबीसी के 15 लाख छात्र और 9 से 12वीं तक की 12 लाख छात्राएं को निशुल्क यूनिफार्म योजना से बाहर करने का विरोध करते हुए सरकार को चेताया है कि गरीब और ओ बी सी

समाजो की छात्राओं को निधुल्क यूनिफार्म योजना के तहत निशुल्क यूनिफार्म देना जारी रखे करना आने वाले पंचायत और निकाय चुनावों में इन छात्राओं के द्वारा घर घर, गांव गांव, ढाणी ढाणी विरोध दर्ज करایया जायेग।
सेन ने बताया कि शिक्षा विभाग विद्यार्थियों से जुड़ी योजनाओं में लगातार कटौती कर रहा है।

मेजर दलपत सिंह के बलिदान दिवस पर उपमुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि दी

जयपुर । राजस्थान की वीर भूमि के अमर सपुत हाइफा हीरो मेजर दलपत सिंह के बलिदान दिवस पर विद्याधर नगर स्थित रावना राजपूत भवन में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विशेष रूप से उपस्थित होकर मेजर दलपत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बलिदान को बल दिया।कार्यक्रम की संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा,"मेजर दलपत सिंह का बलिदान केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक महान प्रेरणा है। उन्होंने इजराइल के हाइफा शहर को आजादी दिलाकर भारत ही नहीं, बल्कि राजस्थान का नाम भी वैश्विक मानचित्र पर गौरवान्वित किया है।" उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा

के नेतृत्व में वर्तमान सरकार शहीदों और महापुरुषों के सम्मान में कई योजनाएं चला रही है। इन प्रयासों से नई पीढ़ी में देशभक्ति की भावना और इतिहास के प्रति सम्मान लगातार बढ़ रहा है। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने हाइफा हीरो मेजर दलपत सिंह स्मृति शिक्षण संस्थान का भी अनावरण किया। यह संस्थान आने वाली पीढ़ियों को न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेगा, बल्कि उन्हें अपने गौरवशाली इतिहास से भी जोड़ेगा। कार्यक्रम में महिलाओं ने उपमुख्यमंत्री का स्वागतऽ1 किलो की फूलों की मालापहनाकर किया। यह सम्मान समाज की ओर से उनके योगदान और प्रयासों के लिए श्राद्धिया कुमारी ने कहा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।

उन्होंने महिलाओं, बच्चों और

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया।कार्यक्रम में संयोजकगणजीत सिंह,मोहन सिंह हाथोज,गुमान सिंह जोधा,गिरवर सिंह शेखावत,श्याम सिंह चोहान,महिलाप सिंहसहित समाज के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

अग्रसेन जयंती शोभायात्रा में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने की शिरकत:- अग्रसेन जयंती के अवसर पर मंगलवार को सीकर रोड पर भव्य शोभायात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भाग लिया। उन्होंने पूजा–अर्चना कर शोभायात्रा को रवाना किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाज के पुरुषों और महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए

दिया कुमारी ने कहा कि अग्रवाल समाज सदैव सेवा कार्य और धार्मिक आयोजनों में अग्रणी रहा है। उन्होंने कहा, चाहे सेवा पथनों का निर्माण हो या शोभायात्राएं, समाज ने हमेशा एकजुटता और सौहार्द का परिचय दिया है।उपमुख्यमंत्री ने भगवान महाराजा अग्रसेन जी को समाजवाद और संतुलित व्यवस्था का प्रतीक बताते हुए कहा कि उनके आदर्श आज भी समाज के लिए प्रेरणादायक हैं।इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी में रियायतों का उल्लेख करते हुए कहा, इस फेस्टिवल सीजन में जीएसटी को सरल और जनउपयोगी बनाया गया है, जिससे व्यापारियों पर करों का बोझ कम होगा और आम जनता को भी वस्तुएं सस्ती दरों पर उपलब्ध होंगी।

नौकरी दिलाने के बहाने विवाहिता से दुष्कर्म

जयपुर। ग्गारू थाना इलाके में नौकरी दिलाने के बहाने होटल में बुलाकर एक विवाहिता से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी।पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी है।

पुलिस के अनुसार फांकोर्टा की रहने वाली 35 वर्षीय विवाहिता ने मामला दर्ज करवाया है कि कुछ समय पहले आरोपित युवक से उसकी मुलाकात हुई थी। होटल में नौकरी दिलाने का झांसा देकर मिलने का दबाव डाला। 21 सितंबर को वारू इलाके में स्थित एक होटल में नौकरी दिलाने के बहाने मिलते बुला कर दुष्कर्म किया। होटल से जाते समय किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पटताल में जुटी है वहीं श्याम नगर थाना इलाके में 19 वर्षीय एक लड़की से दुष्कर्म की कोशिश करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपित रिश्तेदार मिलने के बहाने घर आया था। पुलिस ने मामला दर्ज जांच में जुटी है।

पी.एम. मोदी व गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ याचिका में बहस पूरी

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के खिलाफ नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर दायर याचिका पर बहस पूरी हो गई। है। अदालत ने मामले में बाद में फैसला देना तय किया है। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश याचिकाकर्ता अधिवक्ता पूरुषचन्द्र सेन की याचिका पर दिया। याचिका में नागरिकता अधिनियम में संशोधन से देश की एकता व अखंडता को खतरे में डालने और धर्म के आधार पर भेदभाव का आरोप लगाया गया है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से साॅलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एएसजी आरडी रस्तोगी ने पक्ष रखा। जबकि राज्य सरकार की ओर से एजी राजेन्द्र प्रसाद ने पैरवी की। केन्द्र सरकार की ओर से एएसजी रस्तोगी ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून किसी भी धर्म का विरोधी नहीं है। वहीं देश में बनने वाला कोई भी कानून गृह मंत्री, कानून मंत्री या

- याचिका में नागरिकता अधिनियम से देश की एकता व अखंडता को खतरें में डालने और धर्म के आधार पर भेदभाव का आरोप लगाया गया है**

- अदालत ने मामले में बाद में फैसला देना तय किया है**

प्रधानमंत्री नहीं बनाते है। कानून संसद की ओर से बनाया जाता है।ऐसे में पीएम मोदी और दोनों मंत्रियों पर आरोप लगाना गलत है। इसके अलावा याचिकाकर्ता स्वयं संसद में मौजूद नहीं था तो मिलीभगत का आरोप कैसे लगा सकता है। वहीं नागरिकता अधिनियम में संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। याचिकाकर्ता ने कानून का दुरुयोग्य किया है। ऐसे में उसकी याचिका को भारी हजाने के साथ खारिज किया जाना चाहिए। दूसरी ओर महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि याचिकाकर्ता ने जो मुद्दा उठाया है, वह संबंधित निचली अदालत के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। इसलिए निचली अदालत ने परिवार को खारिज कर कोई गलती नहीं की है। जिस पर

शहीद स्मारक पर विरोध प्रदर्शन आज

जयपुर। राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने संघ के सक्रिय पदाधिकारियों की आपात बैठक में लिया विरोध प्रदर्शन का निर्णय। राज्य सरकार बार–बार बजट में मंत्रालयिक कर्मचारी के हितों के लिए घोषणाएं करके उन्हें लागू नहीं कर रही है। कर्मचारी संघ द्वारा समय–समय पर इस हेतु सरकार को अवगत कराया है, महासंघ एकीकृत भी सरकार से कई बार वार्ता कर मंत्रालयिक कर्मचारियों की वाजिब मांगों को शीघ्र पूर्ण करने का आग्रह किया है। सरकार की वाजिब मांगों के प्रति अनेकधी कर्मचारियों के साथ सरासर धोखा और वादा खिलाफी है। इसी कड़ी में संघ के सचिव कृष्णन्ठु चटर्जी ने बताया की आज दिनांक 23 सितंबर को जलदाय विभाग में एक गैट मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें मंत्रालयिक कर्मचारी की प्रमुख मांग सहायक प्रशासक अधिकारी की ग्रेड पे– 4200 कर तदनुसार अन्य पदों का उन्नयन, मंत्रालयिक कर्मचारी का कैडर रिज्यू, एसीपी में देय 9,18,27 वर्ष के लाभ को 8,16,24,32 वर्ष देना सहित।